न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर

......सावित्री...... बनाम ......ओमप्रकाश......

किस्म मुकदमा ......225...... मु. नं0 ......45...... वर्ष......2020......

दिनांक	आज्ञा पत्र	
14.10.2020	अपील दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील अपीलांट को सुना गया। वकील अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1321 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1322 रकबा 5.50 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1343 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1344 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1345 रकबा 4.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 954 रकबा 0.80 हैक्टेयर कुल किता 6 कुल रकबा 10.92 हैक्टेयर राजस्व ग्राम किठाणा व आराजी खसरा नम्बर 1508/953 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 951 रकबा 1.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 952 रकबा 1.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 958 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 959 रकबा 1.08 कुल किता 5 कुल रकबा 4.77 हैक्टेयर वाके ग्राम किठाणा के बाबत अपीलांट/वादी ने अदालत मातहत में दावा रिकार्ड दुरूस्ती घोषणा व बंटवारे का पेश किया है। विवादित आराजी में अपीलांट का हिस्सा ज्यादा बनता है जमाबन्दी में हिस्सा कम दर्ज किया गया है। जिसके बाबत दावा किया गया है। जिसमें मेरा हिस्सा अधिक बनता है। जिसकी घोषणा होनी है। यदि उक्त आराजी का बेचान हो जाता है तो मुझे मेरा पुरा हिस्सा मिलना सम्भव नही है। अदालत मातहत में विवादित आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत निवेदन किया गया था। किन्तु योग्य अदालत मातहत ने केवल वादी के हिस्से तक रिकार्ड की यथास्थिति के आदेश दिये गये है। जो विधि विरूद्व है। विवादित आराजी का बेचान होने पर वादी/अपीलांट को भारी क्षति होगी तथा विवादित आराजी का बेचान होने पर अपीलांट को उसके वाजीब हिस्से से महरूम होना सम्भव है। अतः मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु रेस्पोडेंट को पाबन्द किया जावें। बहस वकील अपीलांट बगौर समाहत की गई अदालत मातहत के निर्णय का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी में खाता संख्या नया 266 व पुराना 274 में अपीलांट के पिता विनोद कुमार का 1/10 और खाता संख्या 125 पुराना 13 में अपीलांट के पिता विनोद कुमार के पिता का 1/40 है। अपीलांट ने अपने दावे में अपने पिता का हिस्सा ज्यादा होना दर्ज किया है। इसकी घोषणा का दावा है। अपीलांट का हिस्सा जमाबन्दी में गलत दर्ज है। अपीलांट का घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का दावा होने पर हम यह उचित मानते है कि प्रकरण में विवादित आराजी के रिकार्ड और मौके की यथास्थिति उभयपक्षों द्वारा बनाये रखा जाना चाहिए। अतः उपरोक्त विवेचन परिपेक्ष्य में अपील को इसी स्तर पर आंशिक रूप से स्वीकार कर अदालत मातहत का आदेश दिनांक 25.02.2020 खारिज किया जाकर उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि उक्त विवादित आराजी की रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह आदेश 39 नियम 3क के प्रावधानों की पालना करते हुये पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावें। पक्षकार अदालत मातहत में नियत पेशी पर उपस्थित होवें। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। (सज्जवीर सिंह चौधरी) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर	